झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 33 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री अनुप श्रीवास्तव
पो० - गम्हरिया, बोरिंगपडीह, रोड नं० - 09
जिला - सरायकेला-खरसावाँ ।

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
पश्चिमी सिंहभूम ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–33 / 2023

13.7.23

अपीलकर्ता श्री अनुप श्रीवास्तव, पो0–गम्हरिया, बोलायडीह, रोड नं0–09, जिला–सरायकेला–खरसावाँ का अपील आवेदन आयोग को प्राप्त हुआ है।

प्राप्त अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि पूर्व में दिनांक–30.04.2023 को पश्चिमी सिंहभूम के हाटगम्हरिया प्रखण्ड के डुमरिया पंचायत के जन वितरण प्रणाली के दुकानदार डुमरिया महिला मंडल के राशन कार्ड की संख्या / सत्यापन करने का अनुरोध किया गया था। यह भी कि उक्त PDS दुकान के कई लाभुक ऐसे हैं जिनके पास दो–दो राशन कार्ड हैं। साथ ही PDS डीलर द्वारा लाभुकों से पैसे लेकर राशन का वितरण किये जाने का आरोप लगाया गया है। परिवादी का आरोप है कि इस संबंध में उनके द्वारा दिनांक–30.04.2023 को आयोग कार्यालय में शिकायत दर्ज की गई थी जिसे आयोग के पत्रांक–WA / 311 / 2023 दिनांक–02.05.2023 द्वारा DGRO, पश्चिमी सिंहभूम को कार्रवाई हेतु भेजा गया था किन्तु DGRO, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा अबतक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–20.07.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिमी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–20.07.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

13.7.23

(शबनम परवीन)	**(हिमांशु शेखर चौधरी)**
सदस्य,	अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।